



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102026-277121
CG-DL-E-13102026-277121

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615]
No.615]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

सं.एचआरडी /56/2016/ भ.नि./ आयुक्त काडर.— केंद्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 14 की उपधारा (7) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (सहायक भविष्य निधि आयुक्त) भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन , सहायक भविष्य निधि आयुक्त भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति—** जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त।	455* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय बोर्ड समूह 'अ' (केंद्रीय सरकार में समूह 'अ' पदों के समतुल्य।)	स्तर -10 [रु. 56100 - 177500]	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। टिप्पण 1 : केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि। टिप्पण : अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	आयु : नहीं। शैक्षिक अर्हता: हां।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष, जिसके अंतर्गत अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण भी है।	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा;	प्रोन्नति: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऐसे अनुभाग अधिकारी या प्रवर्तन अधिकारी या लेखा अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रुपये 47600-151100) में हैं और जिन्होंने उक्त ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा की है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन अनुभाग अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी या लेखा अधिकारी में से निम्नानुसार किया जाएगा: (i) 6% अनुभाग अधिकारी से; और (ii) 94% प्रवर्तन अधिकारी या लेखा अधिकारी से। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड या पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। टिप्पण 3 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
क. विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त - अध्यक्ष; (2) अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) (मानव संसाधन) - सदस्य; (3) अपर आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम- सदस्य। ख. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— (1) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त - अध्यक्ष; (2) अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) (मानव संसाधन) - सदस्य; (3) अपर आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम - सदस्य।	सीधी भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./384/2026-27]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2026

No.HRD/56/2016/RR/CommissionerCadre.— .- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of section 14 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation (Assistant Provident Fund Commissioner) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board with the approval of Central Government, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Provident Fund Commissioner in the Employees' Provident Fund Organisation under the administrative control of Ministry of Labour and Employment, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Assistant Provident Fund Commissioner Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix. - The number of the post, its classification and the Level in the Pay Matrix, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Provident Fund Commissioner.	455* (2026) *Subject to variation dependent on workload	Central Board Group 'A' (Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government.)	Level-10 [56100 - 177500]	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 35 years. Note 1: Relaxable for Government servants and employees of the Employees Provident Fund Organisation upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Bachelor's degree from a recognised university or institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.	Age: No. Educational Qualification: Yes.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years including mandatory induction training	(i) 50% by direct recruitment; (ii) 50% by promotion.	Promotion: Section Officers or Enforcement Officers or Accounts Officers in Level-8 (Rs.47600 -151100) in the Pay Matrix in Employees Provident Fund Organisation with four years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks of training as devised and sponsored by Employees' Provident Fund Organisation. Note 1: The selection of officers for promotion shall be made from amongst the Section Officers and Enforcement Officers or Accounts Officers as under: (i) 6% from Section Officer; and (ii) 94% from Enforcement Officer or Accounts Officers. Note 2: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in respective grade or post. Note 3: Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
A. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— (1) Central Provident Fund Commissioner -Chairman; (2) Additional Central Provident Fund Commissioner (Head Quarters) (Human Resources) -Member; (3) Additional Commissioner, Employees' State Insurance Corporation- Member. B. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— (1) Central Provident Fund Commissioner -Chairman; (2) Additional Central Provident Fund Commissioner (Head Quarters) (Human Resources) -Member; (3) Additional Commissioner, Employees' State Insurance Corporation - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for making direct recruitment.

RAMESH KRISHNAMURTHI, Central Provident Fund Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./384/2026-27]